कार्यालय–निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/45002/विविध/2018 दिनांक 19.07.18

अति–आवश्यक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा–प्रथम/द्वितीय

विषयः–प्रधानाचार्य–उमावि/प्रधानाध्यापक–मावि/शिक्षकों के स्थानान्तरण होने के उपरान्त तत्काल कार्यमुक्त किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय संस्था प्रधानों/शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण होने के उपरान्त विभागीय निर्देशों की अक्षरशः पालना नही की जा रही है। कार्मिकों के स्थानान्तरण उपरान्त ग्रामीणों/छात्र–छात्राओं द्वारा विधालयों में तालाबन्दी/विरोध प्रदर्शन किया जाता है। उक्त स्थिति कतई उचित नही है। स्थानान्तरण विभाग की सामान्य एवं सतत प्रक्रिया है। विधालयों में तालाबन्दी/विरोध प्रदर्शन में यदि स्थानान्तरित संस्था प्रधानों/शिक्षकों की संलिप्तता पाई जाती है तो संबंधित संस्था प्रधानों/शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावे। यदि ग्रामीणों को उकसाने में शिक्षकों की सहभागिता पाई जावें तो संबंधित संस्था प्रधान एफ.आई.आर. (F.I.R)दर्ज करावें। स्थानान्तरण होने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर स्थानान्तरित संस्था प्रधान को कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण सुनिश्चित करावे। शिक्षकों का स्थानान्तरण होने पर संबंधित संस्था प्रधान कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण सुनिश्चित करावें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जावे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि किसी भी विधालय में तालाबन्दी/विरोध प्रदर्शन की स्थिति ना बने ।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/45002/विविध/2018 दिनांक 19.07.18

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1–समस्त उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ ज़िलों में उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।

2–रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर